न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/2020/प्रा.पत्र/2020	16.03.2020	09.12.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री कपूर चन्द मंगल जाति महाजन निवासी गढ रोड गणेश मन्दिर के पास उनियारा जिला टोंक मैसर्स भावना प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक

2– मैसर्स भावना प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक

3–श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र खण्डेलवाल निवासी भवानी नगर, मुरलीपुरा विद्यालय के सामने, सीकर रोड, डेहर के बालाजी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स रिद्वी सिद्वी सेल्स एजेन्सीज प्लॉट नं. 23 ए, विकास नगर, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर

4– मैसर्स रिद्वी सिद्वी सेल्स एजेन्सीज प्लॉट नं. 23 ए, विकास नगर, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 09.12.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2019 को समय 4.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स भावना प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री कपूर चन्द मंगल जाति महाजन निवासी गढ रोड गणेश मन्दिर के पास उनियारा जिला टोंक मैसर्स भावना प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 185 एंव पैकिंग की दिनांक मार्च 2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री दिनेश कुमार मंगल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता दिनेश कुमार मंगल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के एक कार्टून मे लगभग 50 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 200—200 एम.एल पैक **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 12 मूल पैक प्रत्येक 200—200 एम.एल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री दिनेश कुमार मंगल को रू0 480/—अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** 12 मूल पैक प्रत्येक 200—200 एम.एल पैक को तीन—तीन नग के बराबर—बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—2275 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—2275 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. दिनेश कुमार मंगल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री दिनेश कुमार मंगल ने मौके पर **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** का बतौर वारंटी कोई बिल पेश नही किया पत्राचार करने पर मैसर्स रिद्वी सिद्वी सेल्स एजेन्सीज प्लॉट नं. 23 ए. विकास नगर, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 662 दिनांक 07.12.2019 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2334 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2267/एक्ट/2019/1813 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार दिनेश कुमार जैन से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हाईड्रोजिनेटेड/इडिबल वेजिटेबल ऑयल (कृष्णम ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री कपूर चन्द मंगल जाति महाजन निवासी गढ रोड गणेश मन्दिर के पास उनियारा जिला टोंक मैसर्स भावना प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर शास्ति 17,000 (अक्षरे सत्तरह हजार रू0) अप्रार्थी श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र खण्डेलवाल निवासी भवानी नगर, मुरलीपुरा विद्यालय के सामने, सीकर रोड, डेहर के बालाजी जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स रिद्वी सिद्वी सेल्स एजेन्सीज प्लॉट नं. 23 ए, विकास नगर, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर पर शास्ति 17,000 (अक्षरे सत्तरह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested

9-12-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0